<u>**Bill No. 16 of 2014**</u>

THE FACTORIES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Factories (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on and from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 2, Central Act No. 63 of 1948.- In section 2 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-clause (i) of clause (m), for the existing word "ten", the word "twenty" shall be substituted; and

(ii) in sub-clause (ii) of clause (m), for the existing word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

3. Amendment of section 85, Central Act No. 63 of 1948.- In clause (i) of sub-section (1) of section 85 of the principal Act, for the existing words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

4. Amendment of section 105, Central Act No. 63 of 1948.- For the existing sub-section (1) of section 105 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by an Inspector with the previous sanction in writing by the State Government.".

5. Insertion of new section 106B, Central Act No. 63 of 1948.- After the existing section 106A and before the existing section 107 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**106B. Compounding of offences.-** The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only, and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is so compounded,-

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under sub-clauses (i) and (ii) of clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 "factory" has been defined as any premises, including the precincts thereof (i) whereon ten or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, or (ii) whereon twenty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on. Because of the existing limit, small units are also covered under the definition of "factory". Due to increase in manufacturing activities by small units in the State, the existing threshold limit of "ten" and "twenty" is proposed to be amended by "twenty" and "forty" respectively, so that establishing of small manufacturing units be promoted resulting in creation of more employment opportunities for workers. Consequently, the existing section 85 of the Act is proposed to be amended.

In order to maintain uniformity in smaller cases and transparency in implementation the existing sub-section (1) of section 105 is proposed to be amended to the effect that cognizance of any offence shall be taken by the Court on complaint made by an Inspector after obtaining previous sanction in writing from the State Government.

Under the existing provisions of the Act, there is no provision for compounding of offences, resulting in higher number of prosecution cases. For speedy disposal of offences and to minimise number of litigation, a new provision, i.e. section 106B is proposed to be inserted for compounding of offences.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE FACTORIES ACT, 1948
(Central Act No. 63 of 1948)

XX XX XX XX XX XX

2. Interpretation.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) to (l) xx xx xx xx xx

(m) "factory" means any premises including the precincts thereof –

(i) whereon ten or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, or

(ii) whereon twenty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on,

but does not include a mine subject to the operation of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), or a mobile unit belonging to the armed forces of the Union, railway running shed or a hotel, restaurant or eating place.

Explanation I.- For computing the number of workers for the purposes of this clause all the workers in different groups and relays in a day shall be taken into account;

Explanation II.- For the purposes of this clause, the mere fact that an Electronic Data Processing Unit or a Computer Unit is installed in any premises or part thereof, shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof;

(n) to (r) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

85. Power to apply the Act to certain premises.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that all or any of the provisions of this Act shall apply to any place wherein a manufacturing process is carried on with or without the aid of power or is so ordinarily carried on, notwithstanding that-

(i) the number of persons employed therein is less than ten, if working with the aid of power and less than twenty if working without the aid of power, or

(ii) the persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission of, or under agreement with, such owner:

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with the aid of his family.

(2) xx xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

105. Cognizance of offences.- (1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by, or with the previous sanction in writing of, an Inspector.

(2) xx xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2014 का विधेयक सं. 16

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कारखाना (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 2 का संशोधन.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, राजस्थान राज्य में इसके लागू होने के निमित्त उसकी धारा 2 में,-

(i) खण्ड (ड) के उप-खण्ड (i) में, विद्‌यमान शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) खण्ड (ड) के उप-खण्ड (ii) में, विद्‌यमान शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 85 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में विद्‌यमान शब्द "दस" और "बीस" के स्थान पर क्रमश: शब्द "बीस" और "चालीस" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 की विद्‌यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌:-

"(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, राज्य सरकार द्‌वारा लिखित पूर्व मंजूरी से,

निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।"।

5. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 में नयी धारा 106ख का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 106क के पश्चात् और विद्यमान धारा 107 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"106ख. अपराधों का शमन.- निरीक्षक, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और पहली बार कारित किसी अपराध का, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, ऐसी प्रशमन फीस की रकम की वसूली पर, जो वह ठीक समझे, जो उस अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक न हो, शमन कर सकेगा; और जहां इस प्रकार अपराध का शमन,-

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया गया हो तो अपराधी, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा, और यदि अभिरक्षा में हो, तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया गया हो तो शमन अपराधी की दोषमुक्ति के बराबर होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (i) और (ii) में "कारखाना" को, इसकी प्रसीमाओं सहित ऐसे किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें (i) दस या अधिक कर्मकार कार्य कर रहे हैं, या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है, या (ii) बीस या अधिक कर्मकार कार्य कर रहे हैं, या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है। विद्यमान सीमा के कारण लघु इकाइयां भी "कारखाना" की परिभाषा के अधीन आती हैं। राज्य में लघु इकाइयों द्वारा विनिर्माण क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण विद्यमान "दस" और "बीस" की न्यूनतम सीमा-रेखा को संशोधित करके क्रमश: "बीस" और "चालीस" किया जाना प्रस्तावित है ताकि लघु विनिर्माण इकाइयों की स्थापना से कर्मकारों के लिए नियोजन के अधिक अवसर सृजित हो सकें। परिणामस्वरूप, अधिनियम की विद्यमान धारा 85 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

लघुतर मामलों में एकरूपता और क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए धारा 105 की विद्यमान उप-धारा (1) को इस प्रभाव तक संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान, किसी निरीक्षक द्वारा, राज्य सरकार से लिखित पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, किये गये परिवाद पर लिया जायेगा।

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अपराधों के शमन के लिए कोई उपबंध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन मामलों की संख्या बढ़ रही है। अपराधों के मामलों के त्वरित निस्तारण और वादकरण की संख्या कम करने के लिए, एक नया उपबंध अर्थात् अपराधों के शमन के लिए धारा 106 ख अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

2. निर्वचन.- इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,-

(क) से (ठ) XX XX XX XX

(ड) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें-

(i) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है, या

(ii) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है,

किन्तु कोई खान जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के प्रवर्तन के अध्यधीन है, या संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय इसके अन्तर्गत नहीं है;

स्पष्टीकरण I.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों की संख्या की संगणना करने के लिए दिन की विभिन्न समूहों और टोलियों के सभी कर्मकारों को गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण II.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए केवल इस तथ्य का कि किसी परिसर या उसके भाग में कोई इलैक्ट्रोनिक द्वारा संसाधन यूनिट संगणक यूनिट संस्थापित की गयी है, यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह कारखाना हो गया यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है।

(ढ) से (द) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

85. अधिनियम के कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध किसी ऐसे स्थान पर, जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती है या मामूली तौर से ऐसे चलाई जाती है, इस बात के होने पर भी लागू होंगे कि -

(i) वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि वे शक्ति की सहायता से काम कर रहे हैं तो, दस से कम है और यदि वे शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं, तो, बीस से कम है; और

(ii) वहां काम करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित नहीं हैं किन्तु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहे है:

परन्तु यह तब जब कि विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने कुटुम्ब की सहायता से ही नहीं चलाई जा रही है।

(2) xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx

105. अपराधों का संज्ञान.- (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी निरीक्षक द्वारा या उसकी लिखित पूर्व मंजूरी से किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

(2) xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx

2014 का विधेयक सं.16

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

तौफीक हुसैन हाशमी,
उप सचिव।

(वसुन्धरा राजे, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 16 of 2014

THE FACTORIES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

TOFEEQUE HUSAIN HASHMI,
Deputy Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)